



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 17

Phone: 2661263, 2737446 Fax: 2661263 Website: bsgmp.net E-mail: scoutguide_bpl@dataone.in

क्र० / 5065 / रा०मु० / गति. / 2011
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04.10.2011

1. जिला अधिकारी
पदेन, जिला कमिश्नर स्काउट
जिला.....
2. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का.गा.)
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
संभागीय मुख्यालय

विषय : राज्य स्तरीय रॉक क्लाइमिंग प्रशिक्षण शिविर ।

सन्दर्भ : राज्य के वार्षिक कार्यक्रमानुसार ।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत युवक/युवतियों में उनकी अभिरुचि के अनुरूप साहसिक चुनौतीपूर्ण, रोमांचकारी गतिविधि उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय रॉक क्लाइमिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अतः अपने जिले/संभाग से निम्न सूचनाओं के साथ प्रतिभागियों को सम्मिलित करावें :-

1. कार्यक्रम का नाम : राज्य स्तरीय रॉक क्लाइमिंग प्रशिक्षण शिविर ।
2. अवधि : दिनांक 26 से 30 नवम्बर 2011
3. स्थान : भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, पचमंढी म.प्र.
4. उपस्थिति दिनांक : दिनांक 26 नवम्बर 2011 भोजन से पहले
5. कार्यमुक्ति दिनांक : दिनांक 30 नवम्बर 2011 भोजन के बाद
6. पात्रता : शारीरिक रूप से स्वस्थ 16 से 25 वर्ष के सीनियर स्काउट-गाइड एवं रोवर-रेंजर व 45 वर्ष तक की आयु के पंजीकृत वेंचर क्लब के सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के होंगे।
7. कोटा :
 01. **प्रत्येक संभाग** से कम से कम 04 सीनियर स्काउट/गाइड एवं 02 रोवर/रेंजर को सम्मिलित करावें।
 02. **प्रत्येक संभाग** से अनु.जाति पोस्ट मैट्रिक बालक/कन्या छात्रावासों से 04 रोवर एवं 02 रेंजर को सम्मिलित करावें। अनु.जाति विकास की संस्थाओं के सम्मिलित होने वाले रोवर/रेंजर को मार्ग व्यय शिविर स्थल पर राज्य मुख्यालय द्वारा रेल टिकिट/बस टिकिट की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर देय होगा साथ ही पंजीयन/विकास एवं विशेष/शिविर शुल्क राज्य मुख्यालय द्वारा देय होगा ।

8. शुल्क: पंजीयन शुल्क 100.00 रू. प्रति व्यक्ति स्का.गा. निधि से देय
विशेष/विकास शुल्क 50.00 रू. प्रति व्यक्ति -----“-----
शिविर शुल्क 250.00 रू. प्रति व्यक्ति -----“-----
9. कैसे पहुँचें : पचमंठी पहुँचने हेतु सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन पिपरिया है जो जबलपुर
इटारसी रेलखंड पर स्थित है। पिपरिया रेलवे स्टेशन पर पचमंठी हेतु बस
या टेक्सी उपलब्ध रहती है।
10. आवश्यक सामग्री : ए. पी. आर.ओ. भाग 2 एवं 3 के अनुसार दो जोड़ी पूर्ण व्यवस्थित
यूनिफार्म, टार्च, मच्छरदानी, सांस्कृतिक वेशभूषा, भोजन करने के बर्तन,
मौसम के अनुसार गर्म बिस्तर एवं पहनने व बदलने के गर्म कपड़े,
फस्टएड बाक्स, लेखन सामग्री, प्रसाधन सामग्री, हंटर शूज एवं शिविर
संबंधी आवश्यक सामग्री।

सम्मिलित होने वाले शासकीय विद्यालय के पंजीकृत दलो के स्काउट/
गाइड/स्काउटर/गाइडर को यात्रा भत्ते की पात्रता होगी एवं स्वतंत्र दलो के प्रतिभागियों को मार्ग व्यय
जिला संघ से देय होगा। भाग लेने वाले प्रतिभागियों के आवेदन फार्म की पूर्ति कर इस कार्यालय को
दिनांक 10 नवम्बर 2011 तक अनिवार्य रूप से भेजें।

सलंगन : आवेदन फार्म

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र
भोपाल, दिनांक 04.

पृ.क्र./5066/रा0मु0/गति./2011

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उप संचालक, राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पचमंठी।
2. विशेष कर्तव्य अधिकारी, राज्य मुख्यालय भोपाल।
3. राज्य संगठन आयुक्त/राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्का.गा.) संभागीय मुख्यालय, भोपाल।
4. लेखा/स्थापना कक्ष, राज्य मुख्यालय भोपाल।
5. परियोजना कक्ष, राज्य मुख्यालय भोपाल।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र